REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052023-245997 CG-DL-E-23052023-245997

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2160]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2023/ज्येष्ठ 2, 1945
No. 2160]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2023/JYAISHTHA 2, 1945

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2023

**का.आ. 2254(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	राजमार्ग सं.	
(1)	(2)	(3)
630	848आर	कर्नाटक राज्य में कमरकहट्टी के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर जाड-
		शाहपुर, बहादरवाडी, बेलगुंडी, उंचागांव, होंगा, मुचंदी को जोड़ने वाला और इसके प्रारंभिक
		स्थान पर समाप्त होकर  कमरकहट्टी के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने
		वाला राजमार्ग (बेलगाम रिंग रोड)।

[फा. सं. एनएच-14012/6/2023-पी ऐंड एम]

अभय जैन, उप सचिव

**पाद टिप्पण:** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 2134(अ), दिनांकित 09 मई, 2023 द्वारा किया गया था

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2023

S.O. 2254(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
630	848R	The highway starting from its junction with NH-48 near Kamarkahatti connecting Zad-Shahapur. Bahadarwadi, Belgundi, Uchagaon, Honga, Muchandi and terminating at its originating point and junction with NH-48 near Kamarkahatti in the State of Karnataka (Belgaum Ring Road).

[F. No. NH-14012/6/2023-P&M] ]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Footnote: - The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O.2134(E), dated 9th May, 2023.